

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0-3/पेन-01-34/2019

आदेश

डा0 निर्मल कुमार, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जो दिनांक 31.10.2018 के प्रभाव से सेवा निवृत्त हो गये है, के बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एवं नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि0 दिनांक 13.7.1985 की कंडिका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि0 दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फेक्स संवाद 2685/वि0 (2) दिनांक 22.4.1998 के आलोक में कुल रूपये 2,93,729/- (दो लाख तीरानबे हजार सात सौ उन्नतीस) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा0 निर्मल कुमार अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहे हैं तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमशः 10/-, 20/- 80/- एवं 120/- रूपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहे हैं जिसका व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

			मूलधन	व्याज	कुल योग
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	-	13320	226198	239518
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	-	20748	33463	54211
	कुल योग	-	34068	259661	293729

कुल रूपये 2,93,729/- (दो लाख तीरानबे हजार सात सौ उन्नतीस) रूपये मात्र ।

- 3) यह राशि बजट शीर्ष-8011-बीमा एवं पेंशन निधियों राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 105 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।
- 4) उक्त राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात डा0 निर्मल कुमार, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को भुगतान किया जायेगा ।
- 5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड संख्या-एल-8011001050001 से की जाएगी।

ज्ञापांक- 718(3)

ह0/-
(अनिल कुमार)
पटना, दिनांक- 19/6/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : वित्त विभाग (ग्रुप बीमा शाखा) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि: डा0 निर्मल कुमार, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी- 2/3 को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव